फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर (जोधपुर ग्रामीण)

जयश्री पुत्री देवीलाल बनाम भंवरलाल पुत्र स्व. पुनमचन्द वगेराह

किस्म मुकदमा – 75 राज. भूराजस्व अधि. 1956 (मुकदमा नम्बर 158/2024) (सन् 2024)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
27.12.2024	अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्व रेस्पोडेन्टगण पेश किया गया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पर वकील अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा बहस मे जाहिर किया कि राजस्व ग्राम सुल्तानसिंहनगर पटवार हल्का गिलाकोर तहसील चामू मे स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 474 रकबा 16.4464 हैक्टेयर की भूमि आंई हुई है। उक्त भूमि अपीलान्ट के नाना की सम्पति है जिसमे अपीलान्ट की माता का हक हिस्सा निहित है। राजस्व मूलवाद के निर्णय तक उभयपक्ष के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वो वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 474 रकवा 16.4464 हैक्टेयर वाके सुल्तानसिंहनगर का किसी प्रकार का बेचान नही करें। अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व राजस्व ग्राम सुल्तानसिंहनगर पटवार हल्का गिलाकोर तहसील चामू मे स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 474 रकबा 16.4464 हैक्टेयर की भुमि अपीलान्ट की माता की भूमि है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के तीनो विन्दु प्रार्थी के पक्ष मे है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम सुल्तानसिंहनगर पटवार हल्का गिलाकोर तहसील चामू मे स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 474 रकबा 16.4464 हैक्टेयर मे राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे उक्त स्थगन आदेश गै.मु. रास्ता, सरकारी योजनाओं, राजकीय विभागो एवं कृषि सहायक गतिविधियो पर लागू नही होगा एवं उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता आदेश 39 सीपीसी की पालना मे अप्रार्थीगणो के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. से प्रेषित करते हुए आगामी तारीख पेशी पर पोस्टल रसीदे एवं ट्रेक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 27.01.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, बालेसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
27/1/25	पत्रावली [illegible] राजकीय कार्य, चुनाव [illegible] पत्रावली इसलिए होकर दिनांक 5/3/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20/2/25	पत्रावली में प्रा.प्र. मिसल तलबी का पेश होने पर आज तारीख पेशी पर ली गई। प्रा.प्र. मिसल तलबी के साथ प्रा.प्र. जरिये राजीनामा विड्रोल का पेश शामील मिसल हो। प्रा.प्र. राजीनामा विड्रोल में अंकित किया गया है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्टगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है अपीलान्ट उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहता है। रेस्पोंडेन्ट 1,2,3, 5/1, 5/2, 5/3 के अधिवक्ता उप०। प्रा.प्र. राजीनामा विड्रोल का समर्थन किया गया। अत: अपील जरिये विड्रो निस्तारित की जाती है। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27/12/24 को मौजा सुल्तानसिंहनगर के खसरा नम्बर 474 पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी,** **बालेसर**	जयश्री हरीलाल [illegible] (Adv.) पहचानकर्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:35:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner